भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 274
जिसका उत्तर गुरुवार, 8 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

अर्ध-न्यायिक निकायों में रिक्तियां और लंबित कार्य

274 श्री राघव चड्ढा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश मे अर्थ-न्यायिक निकायो/अधिकरणों / विनियामक निकायों से संबंधित लंबित मामलों जैसी समस्याओं की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा देश में अर्ध-न्यायिक निकायों की पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या अधिकरणों / अपीलीय अधिकरणों में रिक्तियों को नहीं भरा गया है;

(घ) यदि हाँ, तो अधिकरणों की संख्या और रिक्तियों की संख्या कितनी है और ये पद कितने समय से रिक्त पड़े हैं; और

(ङ) रिक्तियाँ नहीं भरी जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : जी हां, जानकारी संकलित की जा चुकी है और उपाबंध-क के अनुसार है ।

उपाबंध- क

मंत्रालय/विभाग का नाम	क	ख	ग	घ	ङ
	क्या सरकार देश के अर्द्धन्यायिक निकायों/अधिकरणों/विनियामक निकायों के संबंध में मुद्दों जैसे कि मामलों का अधिक मात्रा में लंबित होना के प्रति जागरूक और यदि ऐसा है तो उसके ब्यौरे दें ।	**वर्तमान समय में देश के अर्द्ध न्यायिक निकायों की पारदर्शिता, दक्षता और निष्पक्षता में अभिवृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम ।**	**क्या अधिकरणों/अपील अधिकरणों में रिक्त पदों को भरा नहीं गया है ।**	**यदि ऐसा है, तो अधिकरणों की संख्या और रिक्त पदों की संख्या उस समय को दर्शित करते हुए जब से ये पद रिक्त हैं ।**	**पदों को नहीं भरे जाने के कारण ।**
दूरसंचार विवाद निपटारा और अपील अधिकरण (टीडीएसएटी), दूरसंचार विभाग ।	टीडीएसएटी द्वारा प्रदान किए गए आंकडे के अनुसार चालू वर्ष, 2022 में 31.10.2022 तक 949 मामले निपटाए जा चुके हैं और 31 अक्तूबर, 2022 तक टीडीएसएटी के समक्ष 5102 मामले लंबित थे ।	.....	कोई भी पद रिक्त नहीं है ।	उपलब्ध नहीं है ।	उपलब्ध नहीं है ।
आईटीएटी, विधि कार्य विभाग	आईटीएटी में 01.01.2022 को 54315 अपीलें लंबित थीं और 31.10.2022 तक आईटीएटी में लंबित अपीलों की संख्या 40463 थी । आईटीएएटी द्वारा अपनी सभी न्यायपीठों को ऐसे मामलों की छंटनी करने और उनकी पहचान करने, जो आईटीएटी, उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय द्वारा समाविष्ट होते हैं, के लिए पहले से ही आवश्यक अनुदेश जारी कर चुकी है और उनका पूर्वीकता के आधार पर निपटान कर रही है !	आईटीएएटी द्वारा उठाए गए कदमों में कंप्यूटरीकरण, उन्नत आईटीएटी शासकीय वेबसाइट, आईटीएटी परियोजना, डिजीटल प्रदर्शन बोर्ड, मोबाइल एप्लीकेशन, सीसीटीवी कैमरा, ई-कोर्ट, ई-फाइलिंग, दैनिक आदेशों का प्रकाशन, पेपर रहित न्यायालय, लिम्बस के साथ एपीआई लिंकेज सुनवाई की सूचना के लिए इलैक्ट्रानिक संसूचना, आईटीएटी सदस्यों के लिए ई-लाइब्रेरी पोर्टल आदि सम्मिलित हैं !	अन्य सरकारी संगठनों के समान आईटीएटी में पदों का रिक्त होना और भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है । सरकार समय-समय पर रिक्त पदों को भरने के लिए अनुदेश जारी करती है ।		
एनसीडीआर	कोनफोंट पोर्टल के अनुसार लंबित मामलें निम्न प्रकार है:-	एनसीडीआरसी में नियुक्तियां अधिकरण सुधार	एनसीआरडीसी में विद्यमान रिक्ति - 1		

<table>
<tr><td>सी, उपभोक्ता कार्य विभाग</td><td><table><tr><td>उपभोक्ता आयोग</td><td>फाईल किए गए मामले</td><td>निपटाये गए मामले</td><td>लंबित मामले</td></tr><tr><td>जिला आयोग</td><td>1919778</td><td>1489626</td><td>430152</td></tr><tr><td>राज्य आयोग</td><td>487078</td><td>375619</td><td>111459</td></tr><tr><td>राष्ट्रीय आयोग</td><td>105841</td><td>83860</td><td>21981</td></tr></table></td><td>अधिनियम, 2021 के अनुसार विनियमित की जाती है ।</td><td>(पद रिक्ति होने की तारीख - 10.05.2021)।

उपभोक्ता मामले विभाग ने सदस्यों की 1 विद्यमान रिक्ति और जून, 2023 में उत्पन्न होने वाली 4 प्रत्याशित रिक्ति को भरने के लिए पहले ही परिपत्र जारी कर दिया है ।</td></tr>
<tr><td>एनजीटी, वन मंत्रालय</td><td>एनजीटी स्वतंत्र रूप से विवादों का फैसला कर रही है। सभी निर्णय और आदेश एनजीटी की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं ।

इसके अतिरिक्त, एनजीटी का जनादेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अपने लोगों के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करना और संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में की गई प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय न्याय तक पहुंच प्रदान करना है ।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान, एनजीटी पर्यावरणीय मामलों के प्रति संवेदनशील था और हाइब्रिड मोड यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और फिजिकल हियरिंग मोड के माध्यम से सुनवाई आयोजित करके लगातार पीड़ित व्यक्तियों को पर्यावरणीय न्याय प्रदान कर रहा था ।</td><td>सभी निर्णय और आदेश एनजीटी की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं ।

इसके अतिरिक्त, कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान, एनजीटी पर्यावरणीय मामलों के प्रति संवेदनशील था और हाइब्रिड मोड यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड और फिजिकल हियरिंग मोड के माध्यम से सुनवाई आयोजित करके लगातार पीड़ित व्यक्तियों को पर्यावरणीय न्याय प्रदान कर रहा था ।</td><td>वर्तमान में, एनजीटी की पद संख्या में, छह (06) न्यायिक सदस्य और पांच (05) विशेषज्ञ सदस्य और अध्यक्ष शामिल हैं। न्यायिक सदस्यों के चार (04) पद तथा विशेषज्ञ सदस्यों के पांच (05) पद रिक्त हैं ।

एनजीटी के विशेषज्ञ सदस्यों के रिक्त चार (04) पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है।

तारीख 03.02.2022 को राष्ट्रीय दैनिकों में विशेषज्ञ सदस्यों के उक्त पदों को भरने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। खोज-सह-चयन समिति (एससीएससी) की पहली बैठक 09.09.2022 को आयोजित की गई थी। एससीएससी द्वारा आवेदनों का प्रसंस्करण चल रहा है । इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ सदस्य के एक (01) अतिरिक्त रिक्त पद के लिए विज्ञापन छपवाने के लिए भी एससीएससी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

एनजीटी में न्यायिक सदस्यों के चयन का अंतिम दौर अप्रैल, 2022 के महीने में पूरा किया गया था।

चयन प्रक्रिया के नए दौर के लिए, न्यायिक सदस्यों के पांच (05) पदों {4 रिक्ति + 1 प्रत्याशित रिक्ति} को अंतिम रूप देने के लिए विज्ञापन जारी करने के लिए एससीएससी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। न्यायिक सदस्यों के उक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण</td><td>1985 में इसके प्रारंभ से और 30/09/2022 तक, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने 8,89,927 मामले</td><td>------</td><td>------</td><td>सदस्यों की कुल स्वीकृत पद संख्या जिसके अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का अध्यक्ष भी है , 70 हैं (01 अध्यक्ष, 34 न्यायिक सदस्य और 35 प्रशासनिक सदस्य) आज की तारीख तक, कैट के माननीय अध्यक्ष/सदस्यों के</td></tr>
</table>

डीओपीटी	न्यायनिर्णयन के लिए प्राप्त किए हैं (जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित मामले भी हैं) जिसमें से 8,09,340 मामलों का निपटान किया जा चुका है और 80,587 मामले अभी लंबित है । निपटान का प्रतिशत 90.94% है । कैट के प्रारंभ से मामलों का संस्थन, निपटान और लंबन दर्शित करने वाला विवरण उपाबंध 1 पर है ।			कुल 70 स्वीकृत पदों में से 19 पद (09 प्रशासनिक सदस्य और 10 न्यायिक सदस्य) रिक्त हैं । इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है और भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति से खोज-सह- चयन समिति (एससीएससी) की अध्यक्षता करने की सहूलियत बताने करने; या वर्ष 2022 और 2023 की रिक्ति के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के पद पर चयन के लिए सिफारिशें करने हेतु एससीएससी की अध्यक्षता करने के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश का नाम निर्दिष्ट करने का अनुरोध किया है । वह तारीख, जिससे ये पद रिक्त हैं, उपाबंध 2 के रूप में संलग्न हैं ।	
प्रतिभूति अपीली अधिकरण , आर्थिक कार्य विभाग	प्रतिभूति अपीली अधिकरण (एसएटी) में अधिसूचना तारीख 16 मई, 2019 द्वारा, इस विभाग द्वारा तकनीकी सदस्य का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया था और वर्तमान में, एसएटी एक पीठासीन अधिकारी, एक न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्यों से मिलकर बना है । वर्तमान में, एक तकनीकी सदस्य का पद रिक्त है और इस पद को भरने की प्रक्रिया चालू है ।		प्रतिभूति अपीली अधिकरण (एसएटी) में अधिसूचना तारीख 16 मई, 2019 द्वारा, इस विभाग द्वारा तकनीकी सदस्य का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया था और वर्तमान में, एसएटी एक पीठासीन अधिकारी, एक न्यायिक सदस्य और दो तकनीकी सदस्यों से मिलकर बना है । वर्तमान में, एक तकनीकी सदस्य का पद रिक्त है और इस पद को भरने की प्रक्रिया चालू है ।		
ऋण वसूली अधिकरण और ऋण वसूली अपीली अधिकरण, वित्तीय सेवाएं विभाग	जहां तक ऋण वसूली अधिकरण में लंबित मामलों का संबंध है, 15/11/2022 तक कुल 1,93,602 आवेदन लंबित हैं । इसके अतिरिक्त, 30.06.2022 तक, ऋण वसूली अपीली अधिकरण के समक्ष कुल लंबित अपीलों की संख्या 1408 है ।	ऋण वसूली अधिकरणों और ऋण वसूली अपीली अधिकरणों में प्रक्रिया डिजिटाइज करने और इन अधिकरणों की दक्षता में वृद्धि करने हेतु ई-डीआरटी प्रणाली दिसंबर, 2018 से क्रियान्वित किया गया जा चुकी है ।	वर्तमान में अध्यक्ष की कोई रिक्ति नही है और सभी 5 पद भरे हुए हैं । इसके अतिरिक्त, पीठासीन अधिकारियों के 39 स्वीकृत पदों में से 35 पद भरे हुए हैं और शेष 4 रिक्तियों का भरना प्रक्रियाधीन हैं ।	पीठासीन अधिकारी के चार पद - डीआरटी-2, दिल्ली, डीआरटी-2 कोलकाता, डीआरटी-3 कोलकाता, डीआरटी मदुरै में रिक्त हैं ।	ऋण वसूली अधिकरणों में रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए गए थे । तथापि, कुछ अभ्यर्थियों को जिन्हें नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया गया था उन्होंने पद ग्रहण नहीं किया ।
सीजीआईटी, श्रम और रोजगार मंत्रालय	28/11/2022 की तारीख तक 34,452 मामले लंबित हैं।	सीजीआईटी सह एलसी/एनआईटी में ई-न्यायालय तंत्र कार्यान्वित करने का विनिश्चय	पीठासीन अधिकारी की रिक्ति:8	माननीय उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी के कारण 2019 से सीजीआईटी सह एलसी/एनआईटी में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकी । अधिकरण (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 की अधिसूचना के पश्चात् प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और वर्तमान में सीजीआईटी सह एलसी/एनआईटी में	

		न्याय निर्णयन प्रक्रिया में दक्षता/पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किया गया है ।		पीठासीन अधिकारियों के 22 पदों में से 14 पद भरे हुए हैं । शेष 8 सीजीआईटी सह एलसी/एनआईटी के लिए अतिरिक्त प्रभार व्यवस्था विद्यमान है ।	
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, व्यापार उपचार महानिदेशालय	व्यापार उपचार महानिदेशालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य करता है, डीजीटीआर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और डब्ल्यूटीओ के उपबंधों के साथ अनुकूल नियमों के साथ व्यापार उपचार संबंधी उपाय, गैर-सहायिकी और सुरक्षा जांच पारदर्शी और समयबद्ध रीति में करता है । इसके अतिरिक्त, डीजीटीआर अर्ध न्यायिक प्रकृति का है और सभी हितधारियों को अपने हित प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर देता है । डीजीटीआर सूक्ष्म रूप से प्रस्तुतियों का विश्लेषण करता है और इसके पश्चात् यदि आवश्यक हो, तो अधिरोपण के लिए केंद्रीय सरकार को उपाय करने की सिफारिश करता है ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
जल शक्ति मंत्रालय, महानदी विवाद अधिकरण, कृष्णा जल विवाद अधिकरण, महादायी जल विवाद	कुछ नहीं	कुछ नहीं	प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के पद रिक्त हैं (प्रधान निजी सचिव, कार्यपालक अभियंता, निजी सचिव, वैयक्तिक सहायक आदि)	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अधिकरण, रावी और व्यास जल अधिकरण					
सहकारिता मंत्रालय, केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समिति			प्रशासनिक कर्मचारिवृंद के पद रिक्त हैं (अपर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, आशुलिपिक, सहायक, अनुभाग अधिकारी, एमटीएस, आदि)		
इस्पात मंत्रालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
विदेश मंत्रालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
भारी उद्योग मंत्रालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वेतन अनुसंधान एकक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वित्त मंत्रालय, आईआरईडीए	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ग्रामीण विकास मंत्रालय	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
मत्स्यपालन, पशुपालन और	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

डेयरी मंत्रालय					

****